



SADHAVI BUILDER (P.) LTD.

BUILDERS & DEVELOPERS

Shrishti Complex, Shop No. 11, 6, H.B. Road, Ranchi - 834001

Ref.

Date 02/06/2023

TO,

THE AUTHORIZED OFFICER

RERA BIHAR,

Subject :-Regarding Completion of Project GEETA NUTAN ENCLAVE.

Respected Sir,

I Would Like To Inform You That Our project GEETA NUTAN ENCLAVE is registered with Rera Bihar Bearing Rera registration No-**BRERAP00186-2/1130/R-1013/2020** and this Project has been completed by 30.06.2021 and we have allready submitted the completion certificate in PATNA MUNICIPAL CORPORATION OFFICE.

So I Request fully beg to say that please consider this Project GEETA NUTAN ENCLAVE as completed project , I will always kindeed for this.

THANKS AND REGARDS

Sadhavi Builders Pvt. Limited

Director

FORM-XII
NOTICE (CERTIFICATE OF COMPLETION)
BYE LAWS NO.-15



From

SANTEEV KUMAR [DIRECTOR]
SADHAVI BUILDERS PVT LTD
GEETA NUTAN ENCLAVE
PATEL NAGAR PATNA.

To

THE COMMISSIONER
PATNA MUNICIPAL CORPORATION
PATNA

Sir,

I hereby certify that the development, of erection, re-erection or for material alteration in with respect of Plot No (CS).....208..... Plot No (MSP).....Khata No-351..... Holding No. — MAUZA-SHEKHPURA Mohalla-SHEKHPURA / Ward No — of PMC Municipal under PATNA municipal Corporation/ Planning Authority/Gram Panchayat/Nagar parishad/ areas covered under PMC Development Plan/Planning Authorities/ or Planning Scheme notified under Bihar Urban Planning and Development Act 2012 within the development plan area of PMC has been supervised by me and has been completed by 30/06/2021 according to the sanctioned plan (vide Plan case No P/SHEIKHPURA/PRN/G+4/112/14 dated 13.05.2016) and provision of the Byelaws. Implement of life safety provisions has been complied as mentioned in Byelaw 16(5). The work has been completed to my best satisfaction, the workmanship and all the materials (type and grade) have been used strictly, in accordance with the general and detailed specifications.

I/We hereby also enclose the plan and documents as required under these Byelaws and request to issue the occupancy permission for the said building and premises.

Signature of Technical Person

SHAILESH RANJAN

Name of the Technical Person

Signature of the Owner(s)

Sadhavi Builders Pvt. Limited

Name of the Owner(s)

Director

Address: PATNA

Date: 30/06/2021



पटना नगर निगम

मौलाना कल्याणनगर, पटना-800 001
पत्र संख्या 5543 /10/10/10

प्रेषण,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री रामानन्द सिंह एवं अन्य,
पिता-स्व० कुवर देव सिंह,
ग्राम-गोईनी, थाना-बारबल,
जिला-गया, बिहार।

पटना, दिनांक-17/05/2016 ई०।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Shekhpura/PRN/G+4/113/2016 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-P/Shekhpura/PRN/G+4/113/2016 दिनांक-11.04.2016 के संदर्भ में श्री रामानन्द सिंह एवं अन्य, पटेल नगर, शास्त्रीनगर, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-208 (अंश), खाता सं०-351, थाना-शास्त्रीनगर, थाना सं०-09, मौजा-शेखपुरा, तौजी संख्या-5316, शास्त्रीनगर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठान्त के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 562.375 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 09.140 मी० से 09.54 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रस्तावित भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन

अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 00.00 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (ख) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की द्वाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की द्वाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

17/05/16
उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।